

दर सूची
तहसील मोहनलालगंज
लखनऊ

सामान्य निर्देश

- 1— 9 मीटर या उससे अधिक 12 मीटर तक चौड़ी सड़क/मार्ग/रास्ता पर स्थित भूखण्ड/वाणिज्यिक निर्माणों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु प्रभावी भूमि दरों/किराये की दरों में 10 प्रतिशत अधिक एवं 12 मीटर से अधिक व 18 मीटर तक चौड़ी सड़क/मार्ग/रास्ता पर स्थित भूखण्ड/वाणिज्यिक निर्माणों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु प्रभावी भूमि दरों/किराये की दरों से 20 प्रतिशत अधिक तथा 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क/मार्ग/रास्ता पर स्थित भूखण्ड/वाणिज्यिक निर्माणों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु प्रभावी भूमि दरों/किराये की दरों से 25 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर किया जायेगा। परिशिष्ट (क) में दी गयी सड़कों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
- 2— जिस सम्पत्ति के दो तरफ मार्ग है उनका मूल्यांकन प्रभावी दर में प्रस्तर संख्या-1 की वृद्धि के साथ 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा।
- 3— कृषि भूमि के विक्रय/अन्तरण विलेखों में अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि के प्रत्येक गाटा/ खसरा संख्या की चौहद्दी अनिवार्यतः लिखनी होगी चाहे यह गाटा/ खसरा पूर्ण हो या आंशिक हो।
- 4— भवन (आवासीय/व्यावसायिक/औद्योगिक व अन्य) के अन्तरण के विलेखों में मंजिलों की संख्या और प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल तथा आच्छादित क्षेत्रफल वर्गमीटर में लिखना तथा संलग्न नक्शे में दर्शाना अनिवार्य है।

- 5— कृषि भूमि आबादी/इमारत से 50 मीटर की परिधि में स्थित है तो क्षेत्र की सामान्य कृषि दर से 40 प्रतिशत अधिक और 200 मीटर की परिधि में है तो क्षेत्र की सामान्य कृषि दर से 30 प्रतिशत और अधिक जोड़कर सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 6— प्रत्येक प्लॉट, मकान एवं दुकान के अन्तरण विलेख में सम्पत्ति के विवरण का नक्शा संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा कृषि भूमि के अन्तरण विलेख में 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्ति का विवरण का नक्शा संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नक्शा अन्तरण विलेख के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 7— जिन मोहल्लों/स्थानों की दरें मूल्यांकन दर सूची में अंकित नहीं हैं उनका मूल्यांकन उसे मोहल्ले/स्थानों के निकटस्थ मोहल्ले की दर के आधार पर किया जायेगा।
- 8— प्रलेख में दी गयी चौहद्दी में सड़क/मार्ग होने पर उक्त सड़क/मार्ग का नाम व सड़क/मार्ग व सड़क/मार्ग की चौड़ाई अनिवार्य रूप से उल्लिखित की जायेगी और उक्त सम्पत्ति के निकटस्थ परिशिष्ट (क) में उल्लिखित सड़क से दूरी का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिन भूखण्ड/सम्पत्ति/ जायदाद के दो तरफ मार्ग हैं, उनमें दोनों मार्गों की चौड़ाई का उल्लेख प्रलेख में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- 9— औद्योगिक भूमि एवं भवन का मूल्यांकन निम्नवत् किया जायेगा—
- (क) नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित कोल्ड स्टोरेज/भट्टे/ वेयर हाऊस व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित भूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुए किया जाएगा।
- (ख) नगर निगम सीमा से बाहर 1000 वर्ग मीटर तक के स्थापित कोल्ड स्टोरेज/भट्टे व अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित भूखण्ड की दर में 20 प्रतिशत कम करते हुए किया जाएगा।
- (ग) नगर निगम सीमा के बाहर 1000 वर्ग मीटर से अधिक औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि भूमि दर के दो गुने पर किया जाएगा।

(घ) औद्योगिक निर्माण की दरे निम्नवत होंगी—

- | | |
|---|-------------------|
| (i) आर0सी0सी0 / आर0बी0सी0 निर्माण हेतु— | रु0 6000 प्र0व0मी |
| (ii) टिन शेड / एस्बेस्टस | रु0 4000 प्र0व0मी |
| (iii) खपरैल | रु0 3000 प्र0व0मी |

(ड.) स्थापित औद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों व अन्य उपकरणों का मूल्यांकन उस क्षेत्र में पंजीकृत विशेषज्ञ वैल्यूअर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

10— इस मूल्यांकन सूची में निर्धारित भूखण्डों की दर प्रति क्रेता 1000 व0मी0 तक लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में 1000 वर्ग मीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित भूखण्डों की दर 30 प्रतिशत कम करके लागू होगी।

11— गैर चालित होटल एवं नर्सिंग होम के विक्रय पत्र में भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रति वर्ग मीटर की भूखण्ड की दर से एवं आच्छादित क्षेत्रफल / निर्माण का मूल्यांकन रु0 12,000 /— प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जायेगा। गैर चालित सिनेमा हाल तथा पेट्रोल पम्प के विक्रय पत्र में भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रति वर्गमीटर भूखण्ड की दर से एवं आच्छादित क्षेत्रफल / निर्माण का मूल्यांकन निर्माण की प्रकृति के अनुसार क्रमांक-13 की दर से किया जायेगा।

12— समस्त विलेखों के साथ सम्पत्ति का नक्शा तथा साथ-साथ रूट चार्ट / की प्लाट (जो ए-4 साइज के कागज पर निर्मित हो व निकटतम मुख्यमार्ग से विक्रीत सम्पत्ति तक पहुँचने का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शित करता हों) प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

13— निर्माण की दरें रुपया प्रति वर्ग मीटर—

उच्च श्रेणी	—	रु0 9,000 /—
प्रथम श्रेणी	—	रु0 7,500 /—

द्वितीय श्रेणी	—	रु0 7,000/—
तृतीय श्रेणी	—	रु0 4,000/—

उच्च श्रेणी से तात्पर्य उस निर्माण से है जिससे मार्बल, ग्रेनाइट, टीक का प्रयोग हुआ है। प्रथम श्रेणी के निर्माण से तात्पर्य उस निर्माण से है जिसमें मुजैक या टाइल्स का प्रयोग हुआ है। तृतीय श्रेणी के निर्माण से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो टिन शेड अथवा खपरैल से निर्मित है उपरोक्त तीनों श्रेणी के निर्माण के अतिरिक्त सभी निर्माण द्वितीय श्रेणी के माने जायेंगे।

14— खुली छत के अन्तरण पर छत के अतिरिक्त क्षेत्रफल के मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:—

- (क) प्रथम तल की छत (भूतल के ऊपर) = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 50 प्रतिशत
× छत का क्षेत्रफल
- (ख) द्वितीय/तृतीय तल की छत (प्रथम तल एवं द्वितीय तल के ऊपर) = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 40 प्रतिशत × छत का क्षेत्रफल
- (ग) तृतीय तल से ऊपर शेष समस्त तल की छत (भूतल के ऊपर) = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 20 प्रतिशत × छत का क्षेत्रफल

15— वृक्षों की कीमत परिशिष्ट-ख के अनुसार देय होगी, जो संलग्न है।

16— बोरिंग/कुआँ चालू हालत में मूल्यांकन रु0 30,000/— प्रति बोरिंग, खराब हालत में रु0 15,000/— प्रति बोरिंग होगा।

17— जनपदीय मार्ग पर स्थित कृषि भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के सामान्य दर से 40 प्रतिशत, लिंक/खण्डजा मार्ग पर 25 प्रतिशत अधिक दर पर किया जायेगा। यह दर परिशिष्ट (क) में दिये गये मार्गों पर लागू नहीं होगी।

18— वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निर्धारित करते समय आच्छादित क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर मासिक किराए का 300 गुने पर मूल्यांकन किया जायेगा।

नोट—

1—व्यावसायिक किराये की दरें भूतल/अपर ग्राउण्ड फ्लोर/लोवर ग्राउण्ड फ्लोर पर लागू होगी। बेसमेंट (जिसका प्रत्येक हिस्सा जमीन के नीचे हो) तथा प्रथम तल पर निर्धारित व्यावसायिक किराए की दर 10 प्रतिशत कम करके लागू होगी। द्वितीय तल एवं इससे अधिक तलों पर निर्धारित व्यावसायिक किराए की दर 20 प्रतिशत कम करके लागू होगी।

2—उपरोक्त क्रमांक 1 में वर्णित छूट वातानुकूलित वाणिज्यिक परिसरों/माल/ शॉपिंग या आफिस, कॉम्प्लेक्स/दुकानों को देय नहीं होगी।

19— वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अर्थात् नर्सिंग होम, होटल, सिनेमा हाल, मोटर रिपेयर गैराज, मैरिज हाल, क्लब, कोचिंग, दुकान, आफिस स्पेस (निर्मित स्पेस), गोदाम या व्यवसाय करने के किसी ऐसे प्रतिष्ठान से भी है जहाँ पर उक्त को परिचालित करने के लिए संसक्त सामानों की आपूर्ति व स्टोर की व्यवस्था की जाती है।

20— परिशिष्ट-क में दी गयी सड़कों से दूरी का निर्धारण सड़क के किनारे/नाली से सम्पत्ति की वास्तविक दूरी के आधार पर किया जायेगा।

21— उपान्त/विनियमित क्षेत्र तथा श्रेणी 1, 2, 3 व 4 के ग्राम में एक या अधिक विक्रेताओं द्वारा एक व्यक्ति/एक विधिक व्यक्ति के हक में 0.0630 हेक्टेयर तक या उससे कम भूमि का मूल्यांकन सुसंगत गैर कृषि भूमि दर से किया जायेगा।

- 22— मिट्टी का क्रय-विक्रय करने पर रुपये 45.00 प्रति घन मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा। पीली बालू का विक्रय किए जाने इसका मूल्यांकन रू0 90.00 प्रति घन मीटर की दर से किया जाएगा।
- 23— कृषि भूमि के मूल्यांकन में सड़क पर स्थित गाटे का तात्पर्य सम्पूर्ण गाटे से है। मिनजुमला नम्बर अलग नहीं माना जायेगा।
- 24— अन्तरण पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म-6) का पूर्णरूपेण भरा जाना आवश्यक होगा। इसके पूर्ण न होने की दशा में अन्तरण पत्र का प्रस्तुतीकरण स्वीकार न होगा।
- 25— अन्तरण विलेख में स्टाम्प शुल्क, इस मूल्यांकन सूची के आधार पर आगणित मूल्य अथवा प्रतिफल जो भी अधिक हो, पर देय होगा।
- 26— पूर्णतया वातानुकूलित व्यवसायिक परिसार/माल/मल्टीप्लैक्स में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/दुकानों की किराये की दर निर्धारित किराए की दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- 27— तहसील मोहनलालगंज में निर्मित/विकसित आवासीय फ्लैट्स/एपार्टमेन्ट/ग्रुप हाउसिंग स्कीम/बहुमंजिला आवासीय भवन के मूल्यांकन की दरें:— तहसील मोहनलालगंज में आवासीय फ्लैट्स, एपार्टमेन्ट, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, एवं बहुमंजिला आवासीय भवन के रूप में निर्मित सम्पत्तियों के किसी भाग या फ्लैट अथवा किसी आवासीय भवन का कोई भाग एक अलग यूनिट के रूप में विक्रीत होने पर उसका मूल्यांकन उनके सुपर एरिया के आधार पर किया जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैटों की दर 12,000.00 रू0 प्रति वर्ग मीटर होगी। (फ्लैट के मूल्यांकन की दर में अनुपातिक भूमि का मूल्य समाहित है।)

नोट:—

(1) उक्त दरें सुपर एरिया के आधार पर निर्धारित हैं। सुपर एरिया का तात्पर्य है कि कवर्ड एरिया के साथ-साथ कवर्ड एरिया का न्यूनतम 20 प्रतिशत कामन एरिया अथवा फ्लैट के साथ विक्रीत वास्तविक कामन एरिया। इस प्रकार फ्लैट के मूल्यांकन का सूत्र निम्नवत होगा—

दर X कवर्ड एरिया+कवर्ड एरिया का न्यूनतम 20 प्रतिशत कामन एरिया अथवा वास्तविक कामन एरिया

उपरोक्त के आधार पर फ्लैट के आगणित मूल्य में निम्नलिखित सुविधाओं का मूल्य अतिरिक्त रूप से शामिल किया जायेगा।

(क) फ्लैट में वुडन फ्लोरिंग/ माडुलर किचन/ जकूजी/ वुडन वार्डरोब में से एक या एक से अधिक सुविधाओं के होने की दशा में 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

(ख) फ्लैट जिस बहुमंजिला काम्पलेक्स/भवन में स्थित है उसमें स्वीमिंग पूल या क्लब होने की दशा में 15 प्रतिशत अतिरिक्त।

(ग) परन्तु फ्लैट के साथ उपरोक्त एकाधिक सुविधाओं के मौजूद होने की दशा में इस आधार पर फ्लैट के मूल्य में अधिकतम वृद्धि 20 प्रतिशत तक ही होगी।

(2)— सम्पूर्ण आवासीय काम्पलेक्स/भवन एक साथ विक्रीत होने की दशा में उसका मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र हेतु प्रभावी भूमि की दर एवं क्रमांक-13 में वर्णित निर्माण दर के योग के आधार पर किया जायेगा।

उ.प्र.स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम-4 के
अन्तर्गत उप जिला मोहनलाल गंज, जनपद-लखनऊ की भूमि की
सर्किल दरें
(भाग-1)

1. नगरीय क्षेत्र (2% शुल्क देय)

- क. नगर पंचायत गोसाईगंज (राजस्व ग्राम बलिया खेड़ा, चाँद सराय, सदरपुर
करोरा, सराय करोरा)
ख. नगर पंचायत अमेठी
ग. नगर पंचायत नगराम (राजस्व ग्राम कटरा नगराम)

2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र (2% शुल्क देय)

श्रेणी-1

मस्तेमऊ, माढ़रमऊ खुर्द, माढ़रमऊ कलाँ(खुर्दही बाजार), बक्कास

श्रेणी-2

चौरासी

3. उप जिला मोहनलालगंज की राजस्व सीमान्तगत नगरीय व अर्द्धनगरीय क्षेत्र
छोड़कर आने वाले अन्य समस्त राजस्व ग्राम

श्रेणी-1

हरिकंशगढी, पुरसेनी, मऊ, कासिमपुर बिरुहा

श्रेणी-2

दुलारमऊ, पहाड़नगर टिकरिया, सोनाईकंजेहरा, दाऊदनगर, मोअज्जमनगर

श्रेणी-3

गौरा, अतरौली, कनकहा, बेन्दौवा, रहमतनगर, सलेमपुर

श्रेणी-4

उत्तरगांव ,उदयपुर, काजीखेड़ा, कोरियानी, खुजौली, चककंजेहरा, डेहवा, दहियर, निगोंहा, परेहटा, बेलीकला, बेलीखुर्द, भौंदरी, भसण्डा, भावाखेड़ा, मस्तीपुर, मोहारीकला व खुर्द, महुराकला व खुर्द, मदापुर, सरथुआ, सिसेन्डी, समेसी, शिवलर, हरदोईया, डलौना, कबीरपुर

श्रेणी-5

उपर्युक्त के अतिरिक्ति अन्य समस्त ग्राम

(भाग-2) दरें

1. नगरीय क्षेत्र (2% शुल्क देय)

क. नगर पंचायत गोसाईगंज (राजस्व ग्राम बलिया खेड़ा, चाँद सराय, सदरपुर करोरा, सराय करोरा)

वार्ड का नाम	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
बलियाखेड़ा	2500	70	12 लाख
सदरपुर करोरा पूर्व	2500	70	12 लाख
सराय करोरा पश्चिम	2500	70	12 लाख
सदरपुर बाजार	2500	70	12 लाख
मातनटोला	2500	70	12 लाख
साहन टोला	2500	70	12 लाख
सराय करोरा	2500	70	12 लाख
बाजार पूर्व	2500	70	12 लाख
बाजार मध्य	2500	70	12 लाख
नेवातिन टोला	2500	70	12 लाख

ख. नगर पंचायत अमेठी

वार्ड का नाम	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
मुंशीगंज वार्ड			
मोहल्ला औलाद अली का पुरवा	2000	70	11 लाख
मुंशीगंज पूर्वी भाग	2000	70	11 लाख
शहजादपुर वार्ड			
मोहल्ला मलिकजादा	2000	70	11 लाख
शहजादपुर	2000	70	11 लाख
संजय नगर वार्ड			
मोहल्ला संजय नगर	2000	70	11 लाख
कजियाना का दक्षिणी भाग	2000	70	11 लाख
तकिया डोमे शाह	2000	70	11 लाख
मुंशीगंज पश्चिमी भाग	2000	70	11 लाख

मदरसा वार्ड			
मदरसा	2000	70	11 लाख
गोलदाजगढी	2000	70	11 लाख
गढी करोरी	2000	70	11 लाख
सैय्यद मीरगढी	2000	70	11 लाख
सैय्यद बाडा	2000	70	11 लाख
अन्सारी वार्ड			
अन्सारी	2000	70	11 लाख
मुंशी	2000	70	11 लाख
बंगला वार्ड			
बंगला	2000	70	11 लाख
मिरयासी	2000	70	11 लाख
पटवा	2000	70	11 लाख
रामबाग	2000	70	11 लाख
गढी जमुनी भाग	2000	70	11 लाख
कजियाना वार्ड			
कजियाना	2000	70	11 लाख
मुराई टोला	2000	70	11 लाख
बाजार वार्ड			
बाजार	2000	70	11 लाख
सुरहटी	2000	70	11 लाख
घुडचढा	2000	70	11 लाख
अब्बासी वार्ड			
अब्बासी	2000	70	11 लाख
सतपरा	2000	70	11 लाख
हाता क्यामुददीन	2000	70	11 लाख
कटरा वार्ड			
कटरा	2000	70	11 लाख
बडा दरवाजा	2000	70	11 लाख
चौहटटा वार्ड			
चौहटटा	2000	70	11 लाख
बन्दगीपुरा	2000	70	11 लाख
मोहिनीटोला	2000	70	11 लाख
कसाईबाडा	2000	70	11 लाख

ग. नगर पंचायत नगराम (राजस्व ग्राम कटरा नगराम)

वार्ड का नाम	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
दक्षिण टोला वार्ड			
दक्षिण टोला	1800	70	10,00000
सैय्यदबाड़ा आंशिक	1800	70	10,00000
शेखाना वार्ड			
शेखाना	1800	70	10,00000
कटरा आंशिक	1800	70	10,00000
भाटन टोला वार्ड			
भाटन टोला	1800	70	10,00000
बिलिया आंशिक	1800	70	10,00000
सैय्यद बाड़ा वार्ड			
सैय्यदबाड़ा	1800	70	10,00000
चमरही	1800	70	10,00000
आंशिक चौधराना	1800	70	10,00000
कटरा वार्ड			
कटरा	1800	70	10,00000
कहारन टोला	1800	70	10,00000
कुर्मियाना आंशिक	1800	70	10,00000
ब्राहमणटोला वार्ड			
ब्राहमणटोला	1800	70	10,00000
कायरथान	1800	70	10,00000
आंशिक बाजार विलिया	1800	70	10,00000
गढ़ी वार्ड			
गढ़ी	1800	70	10,00000
लोधपुरवा	1800	70	10,00000
चौधराना वार्ड			
चौधराना	1800	70	10,00000
तकिया आंशिक सैय्यदबाड़ा	1800	70	10,00000
कसाईटोला वार्ड			
कसाईटोला	1800	70	10,00000
बाजार वार्ड			
बाजार	1800	70	10,00000
आंशिक ब्राहमणटोला	1800	70	10,00000

2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र (2% शुल्क देय)

श्रेणी-1

मस्तेमऊ, माढ़रमऊ खुर्द, माढ़रमऊ कला (खुर्दही बाजार), बक्कास

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
2400	70	18लाख

श्रेणी-2

चौरासी

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
1600	60	8लाख

3 उप जिला मोहनलालगंज की राजस्व सीमान्तगत नगरीय व अर्द्धनगरीय क्षेत्र छोड़कर आने वाले अन्य समस्त राजस्व ग्राम

श्रेणी-1

हरिकंशागढी, पुरसेनी, मऊ, कासिमपुर बिरुहा

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
2400	70	18लाख

श्रेणी-2

दुलारमऊ, पहाड़नगर टिकरिया, सोनाईकंजेहरा, दाऊदनगर, मोअज्जमनगर

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
2400	70	15लाख

श्रेणी-3

गौरा, अतरौली, कनकहा, बिंदौवा, रहमतनगर, सलेमपुर

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
2000	60	9लाख

श्रेणी-4

उत्तरगांव ,उदयपुर, काजीखेड़ा, कोरियानी, खुजौली, चककंजेहरा, डेहवा, दहियर, निगोंहा, परेहटा, बेलीकला, बेलीखुर्द, भौंदरी, भसण्डा, भावाखेड़ा, मस्तीपुर, मोहारीकला व खुर्द, महराकला व खुर्द, मदापुर, सरथुआ, सिसेन्डी, समेसी, शिवलर, हरदोइया, डलौना, कबीरपुर

कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
1600	60	8लाख

श्रेणी-5

उपर्युक्त के अतिरिक्ति अन्य समस्त ग्राम

क.स.	क्षेत्र का नाम	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया प्रति वर्ग मीटर	कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेअर
1.	परगना मोहनलाल गंज	1000	40	6.5लाख
2.	परगना निगोहा	800	40	6लाख

सड़क से 25 मी.की दूरी तक					25 मी.के बाद 100 मी.तक		
क्र.स	सड़क का नाम परिशिष्ट 'क'	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया (प्र.व.मी.)	कृषि भूमि की दर प्रति हे. (लाख)	कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर	मासिक किराया (प्र.व.मी.)	कृषि भूमि की दर प्रति हे. (लाख)
क	लखनऊ रायबरेली रोड						
1.	हरिकंश गढी	6500	70	50	4000	70	40
2.	पुरसेनी	6500	70	50	4000	70	40
3.	मऊ	6500	70	50	4000	70	40
4.	अतरौली	6500	70	50	4000	70	40
5.	गौरा	6500	70	50	4000	70	40
6.	बिंदौवा	6500	70	50	4000	70	40
7.	कनकहॉ	6500	70	50	4000	70	40
8.	मस्तीपुर	6000	70	50	4000	70	40
9.	टिकरा	6000	70	50	4000	70	40
10.	भावाखेडा	6000	70	50	4000	70	40
11.	सिर्स	6000	70	50	4000	70	40
12.	उदयपुर	6000	70	50	4000	70	40
13.	निगोहा	6500	70	50	4000	70	40
14.	भगवानपुर	5000	70	50	4000	70	40
15.	शेरपुर लवल	5000	70	50	4000	70	40
16.	दखिनाशेखपुर	5000	70	50	4000	70	40
17.	लालपुर	5000	70	50	4000	70	40
ख.	लखनऊ सुल्तानपुर रोड						
1	मस्तेमऊ	6500	70	50	4000	70	40
2.	माढरमऊकला	6500	70	50	4000	70	40
3.	माढरमऊखुर्द	6500	70	50	4000	70	40
4.	बक्कास एवं कटरा बक्कास	6500	70	50	4000	70	40

5.	चक कंजेहरा	6500	70	50	4000	70	40
6..	मोअज्जमनगर	6500	70	50	4000	70	40
7.	कबीरपुर	6500	70	50	4000	70	40
8.	कासिमपुर विरुहा	6500	70	50	4000	70	40
9.	चाँद सराय	6500	70	50	4000	70	40
10.	सदरपुरकरोरा	6500	70	50	4000	70	40
11.	सरायं करोरा	6500	70	50	4000	70	40
12.	बलियाखेडा	6500	70	50	4000	70	40
13.	शेखनापुर	6500	70	50	4000	70	40
14.	अमेठी	6500	70	50	4000	70	40
15.	रहमतनगर	6500	70	50	4000	70	40
16.	सलेमपुर	6500	70	50	4000	70	40
17.	मोहम्मदपुर गढी	6500	70	50	4000	70	40
	अन्य सडकें						
ग.	मोहनलाल गंज से गोसाईगंज रोड						
1.	मरु	2400	70	22	2200	70	20
3.	इद्रजीत खेडा	1800	40	9	1600	40	8
4.	धरमावतखेडा	1800	40	9	1600	40	8
5.	धरमंगतखेडा	1800	40	9	1600	40	8
6.	खुझौली	2000	60	12	1800	60	10
7.	मोहरीकलाँ/खुर्द	2000	60	12	1800	60	10
8.	हबुवापुर	2000	60	12	1800	60	10
9.	सिठौली खुर्द	1800	40	9	1600	40	8
10.	बेली	2000	60	12	1800	60	10
11.	शिवलर	2000	60	12	1800	60	10
12.	सेमरापीतपुर	1800	40	9	1600	40	8
13.	मगहुवा	1800	40	9	1600	40	8
ध.	मोहनलालगंज से मौरावा रोड						
1.	भसण्डा	1800	60	9	1600	60	8
2	उत्तरगाँव	2000	60	12	1800	60	10
3.	सिसेन्डी	2000	60	12	1800	60	10

4.	सुल्सामऊ	1800	40	9	1600	40	8
5.	मीनापुर	1800	40	9	1600	40	8
ड.	मोहनलालगंज से बनी रोड						
1.	डेहवा	2000	60	12	1800	60	10
2.	भसण्डा	2000	60	12	1800	60	10
3.	भौंदरी	2000	60	12	1800	60	10
च.	निगोहा से नगराम गंगागंज मार्ग						
1.	रामपुर गढी जमुनी	1800	40	9	1600	40	8
2.	समेसी	2000	60	12	1800	60	10
3.	नगराम	2000	70	14	1800	70	12
4.	करोरवा	1800	40	9	1600	40	8
5.	अनैया खरगापुर	1800	40	9	1600	40	8
6.	हरदोईया	2000	60	12	1800	60	10
7.	बहरौली	1800	40	9	1600	40	8
8.	गंगागंज /सलेमपुर	2000	60	12	1800	60	10
9.	बजगहिया	1800	40	9	1600	40	8
10.	खवासखेडा	1800	40	9	1600	40	8
11.	आदमपुर नौबस्ता	1800	40	9	1600	40	8
छ.	निलमथा से नगराम रोड						
1.	सरथुआ	2000	60	12	1800	60	10
2.	पूरनपुर	1800	40	9	1600	40	8
3.	परेहटा	2000	60	12	1800	60	10
4.	दहियर	2000	60	12	1800	60	10
5.	खुजौली	2000	60	12	1800	60	10
6.	तमोरिया	1800	40	9	1600	40	8
7.	भट्टी-बरकत नगर	1800	40	9	1600	40	8
8.	करोरा	1800	40	9	1600	40	8
9.	हुसेनाबाद	1800	40	9	1600	40	8
10.	नगराम	2000	70	14	1800	70	12

नोट:-

1. कृषि भूमि जिसके दोनो तरफ रास्ता है का मूल्यांकन निर्धारित दर से 10% प्रतिशत अधिक पर किया जायेगा।
2. सम्पर्क मार्ग /लिकमार्ग का तात्पर्य ऐसे मार्ग से है जो मार्ग किसी राष्ट्रीय, राज्यमार्ग, जनपदीय मार्ग से निकलकर किसी ग्राम को मिलाये एवं उसी ग्राम मे ही समाप्त हो जाये।